न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः–153/2019 (GCMS No. 2019/00158) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. तुलसी राम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी छारेटा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

..........अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर

...........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डार अपील संख्या 04/2018 तुलसीराम बनाम तहसीलदार खण्डार निर्णय दिनांक 02.04.2018

उपस्थितिः– 1. महाराजसिंह, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक– 13.02.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी खण्डार के निर्णय दिनांक 02.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तुलसीराम पुत्र गिरधारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट इस आशय का पेश किया कि रामनाथ पुत्र गिरधारी एवं तुलसीराम पुत्र गिरधारी दोनों व्यक्ति एक ही हैं। दोनो ही नाम एक व्यवित के हैं। अपीलान्ट को रामनाथ पुत्र गिरधारी जाट के नाम से जानते हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा तैयार किया जिसमें रामनाथ पुत्र गिरधारी नाम का कोई व्यक्ति न होना बताया है। ग्राम पंचायत कोसरा ने भी ग्राम पंचायत में रामनाथ पुत्र गिरधारी नाम का कोई व्यक्ति न होना एवं दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया है।अतः उसका नाम तुलसीराम पुत्र गिरधारी के नाम राजस्व रिकार्ड में किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार ने यह माना कि प्रार्थी जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में हो रही त्रुटि के संदेह को दूर करने में पूर्णतया असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 02.04.2018 पारित कर अस्वीकार कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः—श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः—153/2019 (GCMS No. 2019/00158) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. तुलसी राम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी छारेटा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

..........अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर

...........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डार अपील संख्या 04/2018 तुलसीराम बनाम तहसीलदार खण्डार निर्णय दिनांक 02.04.2018

उपस्थितिः— 1. महाराजसिंह, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक— 13.02.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी खण्डार के निर्णय दिनांक 02.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तुलसीराम पुत्र गिरधारी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट इस आशय का पेश किया कि रामनाथ पुत्र गिरधारी एवं तुलसीराम पुत्र गिरधारी दोनों व्यक्ति एक ही हैं। दोनो ही नाम एक व्यक्ति के हैं। अपीलान्ट को रामनाथ पुत्र गिरधारी जाट के नाम से जानते हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा तैयार किया जिसमें रामनाथ पुत्र गिरधारी नाम का कोई व्यक्ति न होना बताया है। ग्राम पंचायत कोसरा ने भी ग्राम पंचायत में रामनाथ पुत्र गिरधारी नाम का कोई व्यक्ति न होना एवं दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया है।अतः उसका नाम तुलसीराम पुत्र गिरधारी के नाम राजस्व रिकार्ड में किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार ने यह माना कि प्रार्थी जमाबन्दी सम्वत् 2073—76 में हो रही त्रुटि के संदेह को दूर करने में पूर्णतया असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 02.04.2018 पारित कर अस्वीकार कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टस व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथनों को देहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। अपीलान्ट को रामनाथ पुत्र गिरधारी जाट के नाम से जानते हैं ग्राम कोसरा की आराजी ख.नं. 787, 788, 789, 790, 793, 794, 795, 799 एवं 800 कुल किता 9 रकवा 30 बीघा 12 विस्वा है जिसमें रामनाथ पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/26 व तुलसीराम पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/13 बता रखा है। इसी ग्राम की भूमि ख.नं. 786, 796, 801 कुल किता 3 रकवा 7 बीघा 3 विस्वा में रामनाथ पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/26 व तुलसीराम पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/13 बता रखा है। ख.नं. 718, 719, 720, 723 एवं 743/7 कुल 5 रकवा 5 बीघा 7 विस्वा रामनाथ पुत्र गिरधारी के नाम है। रामनाथ पुत्र गिरधारी एवं तुलसीराम पुत्र गिरधारी दोनों व्यक्ति एक ही हैं। दोनों ही नाम एक व्यक्ति के हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौका पर्चा तैयार किया जिसमें रामनाथ पुत्र गिरधारी नाम का कोई व्यक्ति न होना बताया है। अपीलार्थी द्वारा वांछित एवं मौतविर साक्ष्य वोटर पहचान पत्र एवं राशन कार्ड, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.07.89 एवं संबंधित नामान्तकरण संख्या 12 दिनांक 01.09.57 प्रस्तुत किये जिनसे यह साक्ष्य जाहिर किया कि तुलसीराम व रामनाथ दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं इसलिए रामनाथ के स्थान पर तुलसी दर्ज किया जावे या फिर इनके बीच उर्फ का अंकन किये जाने का आदेश दिया जावे। रेस्पोडैन्ट ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों को स्वीकार किया है तथा संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा भी अपीलार्थी के दोनों ही नाम होना बताया है। विवादित त्रुटि पूर्णतया लिपिकीय है जो भूल से चली आ रही है इसलिए उसे शुद्ध किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने सक्षम न्यायालय के तहत में यह कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कारण के अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2018 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलार्थी का नाम रामनाथ के स्थान पर तुलसीराम अंकित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई रिकार्ड व वैध दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जिससे यह साबित हो सके कि दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टस के अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि अपीलान्ट तुलसीराम पुत्र गिरधारी एवं रामनाथ पुत्र गिरधारी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। मौका पर्चा रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं रिपोर्ट तहसीलदार में भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रामनाथ पुत्र गिरधारी के नाम को कोई व्यक्ति नहीं हैं। रिपोर्ट पटवारी में रामनाथ के स्थान पर जमाबन्दी संवत् 2073—76 वाके ग्राम कोसरा छारेटा तोड की खाता संख्या 446 में रामनाथ के स्थान पर तुलसीराम किये जाने की अनुशंषा की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा अपील न्यायालय की पत्रावली में कहीं भी इस बावत कोई विधिक दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है कि रामनाथ पुत्र गिरधारी एवं तुलसीराम पुत्र गिरधारी एक ही नाम के दो व्यक्ति हों। केवल मौका पर्चा में हल्का पटवारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासी एवं सरपंच ग्राम पंचायत कोसरा छारेटा से पूछताछ के आधार पर ही यह उल्लेख किया कि रामनाथ पुत्र गिरधारी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। विना किसी विधिक दस्तावेज के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय आदेश में रामनाथ एवं तुलसीराम को एक ही व्यक्ति न मानने की कोई कानूनी भूल की हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिक दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार का निर्णय दिनांक 02.04.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.02.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर